



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062020-220242
CG-DL-E-29062020-220242

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1881]
No. 1881]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2020/आषाढ़ 8, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2020/ASADHA 8, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 जून, 2020

कराधान और अन्य विधि

का.आ. 2126(अ).—भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक 35/2020, तारीख 24 जून, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का. आ. 2033(अ), तारीख 24 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित की गयी थी, के पृष्ठ 2 पर, -

- (i) पंक्ति 15 में “या धारा 54छख” के स्थान पर “से धारा 54छख तक” पढ़ें;
- (ii) पंक्ति 19 में “उपखंड (i)” के स्थान पर “खंड (ग) के उपखंड (i)” पढ़ें।

[अधिसूचना सं. 39/2020/फा.सं. 370142/23/2020-टीपीएल]

नेहा सहाय, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)